राजेश व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या 2023/033

16.10.2024 पत्रावली पेशी हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि:- प्रार्थीगण 4 सी बड़ी पटवार हल्का ओडकी श्रीगंगानगर निवासीयान है तथा प्रार्थीगण का पेशा काश्तकारी है। प्रार्थीगण के पास चक 4 सी बड़ी खाता संख्या 38/26 मु० 46 व 27 मे संयुक्त खाता में कुल 5.9580 हैक्टेयर मय खाल नहरी रकबा दर्ज है, जिसमे प्रार्थीगण का 391/5958 व 87/662 हैक्टेयर दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण मौखिक रूप से बटवारा अरसा दराज से किया हुआ है तथा प्रार्थीगण के कब्जा में मु0नं0 46 का किला नं० 2, 9, 12, 19, 22 मय खाल कब्जा मे चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण अपने कब्जा की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जा काश्त की भूमि को काफी खर्चा कर सुधारा है जिस सम्बंध में भूमि काफी उपजाउ हो गयी है तथा किला नं0 12, 19, 22 में बाग भी लगा रखा है। अब अप्रार्थीगण के मन मे गलत लालच आ गया है तथा बिना बटवारा करवाये अप्रार्थीगण भूमि आगे विक्रय करने की कोशिश कर रहे है। प्रार्थीगण ने कही बार अप्रार्थीगण को कब्जा अनुसार बटवारा करने हेतु व राजस्व रिकार्ड मे अपने-अपने कब्जे अनुसार पृष्ठांकन करवाने हेतु कहा, परन्तु वे हर बार टाल मटोल कर समय व्यतीत करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में भी मदाखलत बेजा करने व अपनी संयुक्त खाते की होना बताकर विक्रय करना चाहते हैं जिस सम्बंध मे प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से दिनांक 13-5-2023 को बंटवारा करवाने हेतु कहा तो स्पष्ट इन्कारी हो गये। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि को किसी तीसरे पक्ष को रहन, बैय एवं हस्तांतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शमथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद के निस्तारण तक प्रश्नगत् कृषि भूमि चक 4 सी बड़ी, पटवार हल्का ओडकी, भू0अ0नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/26 के मुरब्बा नं0 46 व 27 में संयुक्त खाता में कुल 5.9580 हैक्टे0 मय खाला नहरी कृषि भूमि में से मु0 नं0 46 का किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 में स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 04 सुखपाल कौर पत्नी मलकीत सिंह ने अपने नाम दर्ज 391/2979 हिस्सा यानि 0.782 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 10 लखवीर कौर पत्नी सहज किरत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11/09/2023 के द्वारा विक्रय कर दी है। संयुक्त खाता का प्रत्येक सहहिस्सेदार अपने हिस्सा की भूमि को विक्रय करने का विधिक अधिकारी है इस अधिकार को प्रार्थीगण को बाधित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने सहकाश्तकारान से संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन करवाने हेतू किसी उतरदातागण से कोई सम्पर्क नहीं किया तथा सहकाश्तकार सुखपाल कौर के द्वारा विक्रय की जा रही भूमि में बाधा डालने [illegible] से बिना किसी वाद कारण के वाद पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को [illegible] पेश करने एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं है। [illegible] में वर्णित संयुक्त खाता में हिस्सा दर्ज होने से लगान, आबयाना, [illegible] की बारी की खिचाई भराई, बैंक ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना एवं [illegible] अनुदान एवं अन्य सुविधा के लिए खाता का विधिवत विभाजन किये जाने [illegible] उतरदाता को कोई आपति नहीं है। प्रार्थीगण ने यह जानते हुए कि सहकाश्तकार सुखपाल कौर ने अपने हक व हिस्सा को विक्रय करने का सौदा कर लिया है इसलिए बैयनामा एवं नामान्तरण में अडचन पैदा करने के आशय से बिना कोई वाद कारण के निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:30:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 04 सुखपाल कौर पत्नी मलकीत सिंह ने अपने नाम दर्ज 391/2979 हिस्सा यानि 0.782 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 10 लखवीर कौर पत्नी सहज किरत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.09.2023 के द्वारा विक्रय कर दी है। इसलिए बैयनामा अनुसार इन्तकाल होने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा, बल्कि वाद पत्र के सही न्याय निर्णय में सहायता मिलेगी। अतः अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा खरीद की गई भूमि के नामान्तरण के सम्बन्ध में स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2023 में शिथिलन प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभावी होते हुए भी बैयनामा दिनांक 11.09.2023 के नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है पत्रावली वास्तें तलबी एवं कायम मुकाम हेतु दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:00:42 IST
Reason: SelfAttested